मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-4082128

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/03 भोपाल दिनांक 16 जून 2020

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/नर्मदापुरम (होंशगाबाद)/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/
चम्बल (मुरैना)/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

(02) सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः–दिनांक 06/06/2020 की आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में "ई–अनुज्ञा" पोर्टल के सुचारु क्रियान्वयन के संबंध में दिये गये निर्देश।

–0–

उल्लेखित विषय में दिनांक 29/05/2020 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में "ई–अनुज्ञा स्पोर्ट एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को मान्य करते हुये दिनांक 06/06/2020 को भोपाल से आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस में प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं :–

क्रमांक	विवरण	दिये गये निर्देश
1.	भुगतान पत्रकों की प्रविष्टि।	दैनिक जारी होने वाले भुगतान पत्रकों को पोर्टल पर दर्ज करने की समय सीमा 03 दिवस निर्धारित की जाती है। यदि कोई प्रविष्टि शेष हो तो दिनांक 25/06/2020 तक पूर्ण कर ली जावे।
2.	भुगतान पत्रकों अनुसार मण्डी शुल्क की प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज नहीं करना।	भुगतान पत्रक पर देय मण्डी शुल्क का भुगतान 2 से 3 माह तक पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता है जिसकी संख्या 66,560 है। अतः मण्डी समितियों तत्काल इसकी जांच करायें एवं समाशोधन की कार्यवाही करें। साथ ही निर्धारित समय सीमा 14 दिवस के अंदर मण्डी शुल्क की प्राप्ती सुनिश्चित करें। इसके पूर्व यदि कोई प्रविष्टि शेष हो तो पूर्ण कर ली जावे।
3.	अनुज्ञा पत्रों का सत्यापन।	दैनिक जारी होने वाले अनुज्ञा पत्रों (राज्य के अंदर एवं बाहर) के सत्यापन की समय सीमा 72 घंटे निर्धारित की जाती है।

Scanned with CamScanner

कमांक	विवरण	दिये गये निर्देश
		यदि अनुज्ञा पत्र सत्यापन के लिये शेष हैं तो दिनांक 25/06/2020 तक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे।
4.	राज्य के बाहर के लिये जारी अनुज्ञा पत्रों को निरस्त करना।	राज्य के बाहर के अनुज्ञा पत्र मण्डी स्तर से 24 घंटे के अंदर निरस्त किये जा सकेंगे जबकि अंचल कार्यालय के लिये यह समय सीमा जारी होने के समय से 72 घंटे निर्धारित होगी। केवल विशेष परिस्थितियों में स्पष्ट कारण अंकित करते हुये प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जावे। जो कि युक्ति युक्त कारण का परिक्षण करते हुये आगे कार्यवाही करेंगे।
5.	लिपिकीय त्रुटि वाले ई–अनुज्ञा पत्र राज्य के अंदर/बाहर (जो सत्यापित नहीं हुये हैं)/भुगतान पत्रक/प्रदेश के बाहर से कय बिल एवं मण्डी फीस/निराश्रित फीस का निरस्तीकरण।	प्रविष्टि दिनांक व समय 24 घंटे के अंदर मण्डी सचिव की लॉगिन आई.डी. से डिलिट किये जा सकेंगे इसके उपरांत प्रविष्टि दिनांक व समय से 72 घंटे तक आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक की लॉगिन आई.डी. से डिलिट किये जा सकेंगे।
6.	ई–अनुज्ञा पोर्टल पर प्रारुप–10 की प्रविष्टि कर ई–अनुज्ञा बनाया जाना।	दिनांक 25/06/2020 से प्रारुप–10 की प्रविष्टि करने के उपरांत 03 घंटे के अंदर ई–अनुज्ञा नहीं बनाई जाती है तो यह प्रारुप–10 पोर्टल से स्वतः ही डिलिट हो जायेगा। जिससे सर्वर पर पढ़ने वाले अनावश्यक लोड को नियंत्रित किया जा सकेगा।
7.	जारीकर्ता मण्डी एवं गंतव्य मण्डी के सचिव की आपसी सहमति से व्यापारी नाम, वाहन तथा स्टॉक में सुधार, संशोधन की कार्यवाही की जाना।	इस कार्य की समय सीमा 03 दिवस निर्धारित की जाती है। इसके पूर्व यदि कोई सुधार हो तो उन्हें दिनांक 25/06/2020 तक पूर्ण कर लिये जावे।
8.	प्रदेश में समर्थन मूल्य पर उपार्जन उपरांत निकासी के लिये Release Order/Dispatch Order (DO)/ चालान के ई–अनुज्ञा जारी होने के उपरांत संशोधन/निरस्ती का अनुरोध।	पोर्टल पर प्रविष्टि में विशेष सर्तकता/सावधानी बरती जाये क्यों कि इसमें संबंधित उपज की बड़ी मात्रा शामिल होने के कारण सुधार, संशोधन, निरस्त की कार्यवाही में मुख्यालय स्तर पर कठिनाई होती है।

Scanned with CamScanner

कमांक	विवरण	दिये गये निर्देश
9.	ई–अनुज्ञा डेटाबेस सर्वर पर दिनांक 16/08/2019 से 31/03/2020 तक का डाटाबेस फीज किये जाने की कार्यवाही।	फीज के पश्चात इसमें कोई सुधार/संशोधन/डिलिट की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी (परन्तु यह डाटा रिपोर्ट में उपलब्ध रहेगा)। इसके पश्चात यह प्रकिया दिनांक 25/06/2020 से प्रत्येक चालू माह की समाप्ती उपरांत ठीक अगले माह की 10 तारीख तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार निर्देशों का निर्धारित समय सीमा अनुसार पालन सुनिश्चित करते हुये सारगर्भित प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित।

(डॉ. केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/०५ भोपाल दिनांक 16 जून 2020

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) अपर संचालक (वित्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(03) अपर संचालक (निरीक्षण), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल :– कृपया मण्डी समितियों के निरीक्षण रोस्टर में ई–अनुज्ञा कियान्वयन को प्रमुखता के साथ समावेश कराने का अनुरोध है।

(04) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(05) संयुक्त संचालक (नियमन/ई–अनुज्ञा)/सहायक संचालक (नियमन)/प्रोग्रामर (ई–अनुज्ञा), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

(06) श्री रामकिशुन असाटी, कंसलटेंट (ई–अनुज्ञा), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(07) श्री मनोज सबरवाल, सहायक उपनिरीक्षक (ई–अनुज्ञा टीम, मण्डी बोर्ड मुख्यालय), द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल जिला भोपाल।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with CamScanner